९९ सूरए अज़ ज़िलज़ाल

सूरह अल-इन्फितार (अयात 1-5) का न्याय दर्शन के तत्वों द्वारा विश्लेषण

आयत 1

"जब ज़मीन बड़े ज़ोरों के साथ ज़लज़ले में आ जाएगी"

चुना गया न्याय तत्व:

- **प्रतिज्ञा (Pratijna):** कयामत के दिन पृथ्वी भयंकर भूकंप से हिल जाएगी।
- **हेतु (Hetu):** इस भूकंप को एक निश्चित घटना के रूप में दर्शाया गया है जो सब कुछ हिला देगा।

उदाहरण (Udaharana):
न्याय दर्शन में प्रमाण (प्रमाण) की तीन मुख्य श्रेणियां हैं - प्रत्यक्ष, अनुमान, और उपमान। पृथ्वी के ज़लज़ले की भविष्यवाणी तब तक अमान्य मानी जाएगी जब तक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण न हो। आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि भविष्य में पृथ्वी एक विशेष दिन इस प्रकार से हिल जाएगी।

उपनय (Upanaya):
यह आयत केवल आस्था या मान्यता पर आधारित भविष्यवाणी है, जिसका कोई तर्कसंगत या वैज्ञानिक आधार नहीं दिया गया।

निगमन (Nigamana):
इस आयत की बात न्याय दर्शन के मानदंडों पर खरा नहीं उतरती क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष या अनुमानित प्रमाण की कमी है।

आयत 2

"और ज़मीन अपने अन्दर के बोझे (मादिनयात मुर्दे वग़ैरह) निकाल डालेगी"

चुना गया न्याय तत्व:

- **प्रतिज्ञा: पृथ्वी मृतकों और अन्य वस्तुओं को बाहर निकाल देगी।**
- **हेतु: पृथ्वी के भीतर दबे शव और वस्तुओं का बाहर आना एक निर्णायक घटना के रूप में वर्णित है।**

उदाहरण:
भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म, कर्म, और शरीर के क्षय के सिद्धांत हैं, लेकिन किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं कि पृथ्वी मृतकों को बाहर निकालती है।

उपनय:
यह कथन प्राकृतिक नियमों और वैज्ञानिक प्रमाणों के विरुद्ध है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान स्थिर रहता है और मृत शरीर पृथ्वी में ही क्षीण होते हैं।

निगमन:
यह आयत तार्किक और भौतिक विज्ञान के आधार पर असंभावित और अवैज्ञानिक प्रतीत होती है।

आयत 3

"और एक इन्सान कहेगा कि उसको क्या हो गया है"

चुना गया न्याय तत्व:

- **प्रतिज्ञा: कयामत के भयावह दृश्य देखकर इंसान भयभीत होकर आश्चर्यचकित होगा।**
- **हेतु: अप्रत्याशित आपदा के कारण मनुष्य भ्रमित और डर जाएगा।**

उदाहरण:
मानव मनोविज्ञान के अनुसार, बड़े संकट या अप्रत्याशित घटनाओं पर प्रतिक्रिया आश्चर्य और भय होती है।

उपनय:
यह आयत मानव व्यवहार के संदर्भ में तार्किक प्रतीत होती है।

निगमनः
 यह आयत व्यवहारिक और तार्किक है, जिसे हम सहज मान सकते हैं।

आयत 4

"उस रोज़ वह अपने सब हालात बयान कर देगी"

चुना गया न्याय तत्वः

- **प्रतिज्ञाः कयामत के दिन पृथ्वी अपने सभी हालात और उन पर घटित घटनाओं को प्रकट करेगी।**
- **हेतुः ऐसा माना गया कि पृथ्वी स्वयं गवाह होगी।**

उदाहरणः
 यह अवधारणा भारतीय दार्शनिक परंपराओं में नहीं पाई जाती, जहां जीवन, कर्म और पुनर्जन्म पर जोर है, लेकिन पृथ्वी को साक्षी या वक्ता नहीं माना गया।

उपनयः
 यह कथन न्याय दर्शन में व्याप्ति (invariable concomitance) के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि किसी वस्तु या पृथ्वी के अपने हाल बताने का कोई प्रमाण नहीं।

निगमनः
 इस आयत की व्याख्या तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी को चेतन या संवाद करने वाला नहीं माना जा सकता।

आयत 5

"क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म दिया होगा"

चुना गया न्याय तत्वः

- **प्रतिज्ञा: यह सब ईश्वर के आदेश से होगा।**
- **हेतु: परमेश्वर की इच्छा या आदेश को क्रियान्वित मानना।**

उदाहरण:
भारतीय दर्शन में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है, परंतु कर्म और प्राकृतिक नियमों की भी महत्ता है। केवल ईश्वर की इच्छा को कारण मानना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं।

उपनय:
यह कारण हेतु के रूप में अस्पष्ट है क्योंकि प्राकृतिक नियमों का उल्लेख नहीं है और ईश्वर की इच्छा के अलावा कोई और प्रमाण नहीं दिया गया।

निगमन:
यह आयत भी न्याय दर्शन के प्रमाण के आधार पर कमजोर है क्योंकि इसमें केवल ईश्वर की इच्छा का हवाला दिया गया है, बिना तर्कसंगत समर्थन के।

सारणी: सूरह अल-इन्फितार (आयत 1-5) का न्याय दर्शन आधारित मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना / सकारात्मक बिंदु	विवरण
1	प्रतिज्ञा, हेतु	भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक या तार्किक प्रमाण नहीं	केवल आस्था पर आधारित, प्रत्यक्ष प्रमाण की कमी
2	प्रतिज्ञा, हेतु	मृतकों को बाहर निकालने की धारणा भौतिक नियमों के विरुद्ध	वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवैज्ञानिक और असंभव
3	प्रतिज्ञा, हेतु	मनुष्य की प्रतिक्रिया तार्किक और व्यावहारिक	मनोविज्ञान के अनुसार स्वीकार्य
4	प्रतिज्ञा,	पृथ्वी को संवाद करने वाला मानना	न्याय दर्शन में व्याप्ति सिद्धांत के

	हेतु	अव्यवहारिक	विरुद्ध
5	हेतु	केवल ईश्वर की इच्छा को कारण मानना तर्कहीन	प्राकृतिक नियमों का अभाव, प्रमाण आधारित कारण की कमी

समग्र निष्कर्ष:

सूरह अल-इन्फितार की ये आयतें धार्मिक आस्था और भविष्यवाणी के आधार पर बनी हैं, जिनमें से कुछ जैसे मनुष्य की प्रतिक्रिया तर्कसंगत हैं। लेकिन पृथ्वी के भूकंप, मृतकों का बाहर निकलना और पृथ्वी की कथित गवाही जैसे बिंदु न्याय दर्शन के तर्क और वैज्ञानिक प्रमाणों के विरोध में हैं। केवल ईश्वर की इच्छा को कारण मानना बिना तर्कसंगत समर्थन के न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अतः ये आयतें तर्कसंगत आलोचना के दृष्टिकोण से कमजोर हैं और इन्हें सार्वभौमिक न्याय और विज्ञान के आधार पर सत्य नहीं माना जा सकता।

क्या आप अन्य आयतों का भी इसी विधि से न्याय दर्शन के तत्वों के अनुसार विश्लेषण चाहते हैं?

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना

सूरए अज़्ज़िल्ज़ाल (6-8)

आयत 6

आयत का अनुवाद:
"उस दिन लोग गिरोह गिरोह (अपनी कब्रों से) निकलेंगे ताकि अपने आमाल को देखे।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya) – ज्ञात वस्तु का आधार

प्रतिज्ञा (Proposition):
आयत कहती है कि मृत्यु के बाद इंसान कब्रों से उठेंगे और अपने कर्मों को देखेंगे।

हेतु (Reason):
 यह कथन पुनरुत्थान और कर्मफल की अवधारणा पर आधारित है, परन्तु इसका कोई प्रत्यक्ष, अनुभवसिद्ध या तार्किक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह केवल धार्मिक विश्वास का हिस्सा है।

उदाहरण (Example):
 भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा है, किन्तु वह कर्म के फलस्वरूप नए जन्म को मानती है, जहाँ आत्मा निरंतर पुनर्जन्म के चक्र में रहती है। वहीं, न्याय दर्शन में ज्ञान का स्रोत अनुभव (प्रत्यक्ष), अनुमान, और शब्द (शास्त्र) हैं। पुनरुत्थान का प्रमाण उपलब्ध नहीं।

उपनय (Application):
 इस आयत की बात अनुभव या प्रमाण के आधार पर सार्वभौमिक सत्य नहीं बन सकती क्योंकि इसका प्रत्यक्ष अनुभव या प्रमाण नहीं।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत न्याय दर्शन के प्रमेय और प्रमाण के सिद्धांत के विरुद्ध है क्योंकि यह अनुभव या प्रमाण से रहित कल्पना को सत्य मानती है, जो सभी मानवता के लिए स्वीकृत नहीं हो सकती।

आयत 7

आयत का अनुवाद:
 "तो जिस शख़्स ने ज़र्रा बराबर नेकी की वह उसे देख लेगा।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमाण (Pramana)

प्रतिज्ञा (Proposition):
 इंसान अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म अच्छी हरकत को भी देख सकेगा।

हेतु (Reason):
 यह कथन कहता है कि हर एक सूक्ष्म कर्म का लेखा-जोखा होगा और उसे देखने का अनुभव होगा। लेकिन इसके लिए कोई वैज्ञानिक या तर्कसंगत प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

उदाहरण (Example):
 गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में कर्म के फल का फल व्यक्ति को मिलता है, लेकिन कर्म का फल भोगना जीवात्मा के पुनर्जन्म और कर्मसिद्धांत पर आधारित है, न कि मृत्युपश्चात तत्काल देखने की प्रक्रिया पर।

उपनय (Application):
यह आयत अनुभव और तर्क के अनुरूप नहीं, क्योंकि मनुष्य के मृत्युपश्चात अपने कर्मों को देखने का कोई प्रमाण या उपमा नहीं है।

निगमन (Conclusion):
यह दावा बिना तर्क और प्रमाण के केवल धार्मिक मान्यता है, जो न्याय दर्शन के प्रमाणीकरण के अनुरूप नहीं है।

आयत 8

आयत का अनुवाद:
"और जिस शख़्स ने ज़र्रा बराबर बदी की है तो उसे देख लेगा।"

चुना गया न्याय तत्व: हेतु (Hetu) – कारण या तर्क

प्रतिज्ञा (Proposition):
हर व्यक्ति को अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बुराई का फल भी दिखाई देगा।

हेतु (Reason):
यह तर्क उचित हो सकता है यदि न्यायसंगत कारण मौजूद हों, लेकिन इस आयत में इसका कोई व्यावहारिक या तर्कसंगत आधार नहीं है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को देख भी सकेगा और समझ भी सकेगा।

उदाहरण (Example):
उत्तरा मीमांसा (वेदांत) में कर्मों का फल स्वाभाविक और न्यायसंगत है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है, न कि मृत्युपश्चात तत्काल 'देखना'।

उपनय (Application):
यह आयत वैज्ञानिक तर्क और तात्त्विक सिद्धांतों से मेल नहीं खाती क्योंकि इसका कोई प्रमाण या व्यावहारिक आधार नहीं।

निगमन (Conclusion):
यह दावा तर्क और अनुभव के अभाव में अस्वीकार्य है और न्याय दर्शन के हेतुनिरूपण (कारण निर्धारण) सिद्धांत के विरुद्ध है।

सारणी:

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना/कमजोरी	कारण
6	प्रमेय	पुनरुत्थान का कोई प्रमाण या अनुभव उपलब्ध नहीं	अनुभव और प्रमाण की कमी
7	प्रमाण	सूक्ष्म नेकी देखने का कोई तर्कसंगत या वैज्ञानिक आधार नहीं	तर्क और अनुभव का अभाव
8	हेतु	मृत्यु के बाद कर्मों को देखने का कोई व्यावहारिक कारण नहीं	तर्कहीन कारण और प्रमाण की कमी

समग्र निष्कर्ष:

इन तीन आयतों में पुनरुत्थान, कर्मफल देखने और सूक्ष्म कर्मों के फल का अनुभव करने का दावा बिना किसी तार्किक, वैज्ञानिक या अनुभवसिद्ध प्रमाण के किया गया है। न्याय दर्शन के प्रमेय, प्रमाण और हेतु के सिद्धांतों के अनुसार, ये दावे तर्कहीन हैं और मानवता के लिए सार्वभौमिक सत्य नहीं बन सकते। भारतीय दर्शन में भी कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा अलग तात्विक और तार्किक आधार पर प्रस्तुत है, जो इन आयतों से भिन्न है। अतः यह आयतें सभी मानवों के लिए स्वीकार्य और व्यवहारिक नहीं हैं।

अगर आप चाहें तो इसी ढांचे में आगे की आयतों का भी विश्लेषण कर सकता हूँ।